न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल I.A.S.

प्रकरण संख्या – 78/2018 (अपील)

देवा पुत्र परसा बंजारा जाति बंजारा निवासीजगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 20.08.2018 मि0नं0 86/2018 न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री असलम अंसारी, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–25.06.2019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा, वन मण्डल कोटा ने रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर ग्राम खेडा जगपुरा की भूमि खसरा नम्बर 236 की 0.59 हे0 में अतिक्रमण की धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रकरण संख्या 86/2018 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाने एवं 1100/– रूपये की शास्ति व एक माह की सजा के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 20.08.2018 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 29.10.2018 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को ग्राम जगपुरा की खसरा नं0 236 की 0.59 हे0 किस्म वन भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा मानते हुये बेदखली व 1100/– शास्ति व माह के सिविल कारावास का आदेश पारित गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91 जैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नहीं दिया गया है । विवादित आराजी से अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य में भी वह उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही प्रदान किया है । जिसका सर्व प्रथम ज्ञान दिनांक 22.10.2018 को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारन्ट लेकर आने तथा उनके द्वारा बताने पर हुई । उक्त प्रकार जानकारी होने पर दिनांक 22.10.2018 को नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 25.10.2018 को नकल मिली, नकल प्राप्त कर अपीलान्ट रूपये का इंतजाम कर यह अपील पेश कर रहा है । जो कि सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 22.10.2018 से होने के कारण आदेश दिनांक

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

20.8.2018 से जानकारी की दिनांक 22.10.2018तक के दि मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने से वकीलल अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय आधार पर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91 जैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस नहीं दिया गया है । विवादित आराजी से अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य में भी वह उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करेगा । अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका प्रदान किये बिना ही प्रदान किया है ।

5. हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया । अपीलान्ट यह सिद्व नहीं कर पाया कि उसने विवादित भूमि ग्राम आंवली के ख0नं0 236 रकबा 0.59 हे0 वन भूमि पर अपना कब्जा छोड़ दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न फोटो ग्राफ्स से एवं क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के पत्र क्रमांक/ एफ/ न्याय/ सेवअ/ 2018–19/ 4019 दिनांक 14.11.2018 से सिद्व होता है कि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया है ना ही वन विभाग को संभलाया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने के पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं करने से अपील अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.8.2018 को यथावत रखा जाता है ।

6. निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner